आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आअ.सं. 277/इंदौर/2019
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्री पंकेश जैन, पिथमपुर, धार	बनाम	आयकर अधिकारी 1(4), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएफएमपीजे 2528 पी		

अपीलार्थी की ओर से	श्री सौम्य बंब, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	14.12.2022
उद्घोषणा तिथि	26.12.2022

आदेश

श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के आदेश दिनांक 10.01.2019 के विरूद्ध निदेशित हैं, जो कि आयकर अधिकारी-1(4), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 26.12.2017 से उद्भूत है ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना" में आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 5 जारी किया गया है । आवेदन के साथ फार्म सं. 3, 4 तथा 5 की प्रतियां भी दाखिल की गई हैं । निर्धारिती

के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि “विवाद से विश्वास योजना,2020” हेतु विरचित नियमों के अनुसार, वर्तमान अपील को वापिस लेना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं । तद्नुसार निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते है ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि राजस्व द्वारा संबंधित निर्धारिती को इस योजना का लाभ किसी भी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 26.12.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(सुचित्रा आर. कांबले)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 26.12.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल